कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)
E-mail—pccfwl@mp.gov.in

प्रेसविज्ञप्ती (29 / 26, दिनांक 27.05.2026)

अंतर्राज्जीय स्तर पर खैर वनोपज के अवैध व्यापार में शामिल एक अन्य आरोपी भी एसटीएसएफ के द्वारा गिरफ्तार

आज दिनांक 27.05.2026 को वनमंडल शिवपुरी अंतर्गत वन्यजीव शिकार एवं खैर वनोपज की कटाई कर उसके अवैध व्यापार एवं अवैध परिवहन के अपराध में फरार आरोपी भगवान सिंह राजपूत उर्फ भूरा पुत्र स्व. माधो सिंह, निवासी ऐरावान, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्य प्रदेश क्षेत्रीय इकाई शिवपुरी एवं वनमंडल शिवपुरी के संयुक्त दल ने ग्राम ऐरावान से गिरफ्तार किया।

सामान्य वनमंडल शिवपुरी के वन परिक्षेत्र सतनवाड़ा अंतर्गत शिकार, अवैध कटाई एवं अवैध परिवहन संबंधी दर्ज वन अपराध प्रकरण क्रमांक 823/02, दिनांक 07.05.2025 में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स के द्वारा मुखबिर तंत्र विकसित कर छापामार कार्यवाही की तथा खैर के अवैध व्यापार के मुख्य सरगना अनूप यादव पुत्र सुरेश यादव, उम्र 34 वर्ष, निवासी झांसी खास, सीपरी बाजार, जिला झांसी (उ.प्र) को दिनांक 10.05.2026 घाटीगांव, जिला ग्वालियर से स्थानीय वनमंडल के सहयोग से गिरफ्तार किया गया। उक्त प्रकरण में अंतर्राज्जीय गिरोह के द्वारा खैर की अवैध कटाई कराकर अवैध परिवहन हरियाणा जाता है। उक्त संगठित गिरोह घाटीगांव-ग्वालियर, सतनवाड़ा-शिवपुरी एवं मुरैना क्षेत्र में सक्रिय होकर खैर के अवैध व्यापार एवं परिवहन गतिविधियों में संलिप्त है। उक्त क्षेत्रों से खैर की अवैध कटाई करवाकर ट्रक से हरियाणा भेजी जाती है। खैर वनोपज की तस्करी संगठित गिरोह के द्वारा देश के कई राज्यों में की जा रही है, जिसकी उपयोग पान मसाला, कत्था बनाने में किया जाता है। प्रकरण में विवेचना में एसटीएसएफ द्वारा सहयोग किया जा रहा है।

अधिकृत अधिकारी
कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
मध्यप्रदेश, भोपाल